न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2018/00019

अनवान

1. श्री कान्तिलाल मीणा पुत्र नाथुलाल मीणा, निवासी चौराई, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्री कान्तिलाल मीणा पुत्र मानेंग मीणा, निवासी चौराई, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. श्री नाना मीणा पुत्र भेरा मीणा, निवासी उपलाफला, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
4. श्री मुकेश मीणा पुत्र थावरा मीणा, निवासी चौराई, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
5. श्री हाजा मीणा पुत्र श्री सिंघा मीणा, निवासी चौराई, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मणलाल पुत्र श्री जीवतराम मीणा, निवासी चौराई, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती लाली पत्नि श्री लक्ष्मण लाल मीणा, निवासी चौराई, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भरत सनाढ्य, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 20-12-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 414 रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण का कई वर्षो से कब्जा है एवं प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है। उक्त भूमि में से 0.1000 हेक्टेयर भूमि का विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 20.02.2013 को आवंटन किया गया है। आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार किये बिना, उद्घोषणा जारी किये बिना एवं आवंटन की पात्रताकी जांच किये बगैर ही विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन किया है। आवंटन कमेटी का निर्णय सर्वसम्मति से नही हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत बिछीवाडा द्वारा कोरम में हस्ताक्षर करते समय यह अंकन किया गया है कि मौका देखकर आंवटन करे। विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.02.2013 को कथित भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया है एवं उसी दिवस को पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई है एवं उसी दिनांक को आवंटन किया गया है। आवंटन उपरान्त मौके पर उक्त आराजी के कौनसे भाग पर विपक्षी

संख्या 1 व 2 को कब्जा सुपुर्द किया गया है, स्पष्ट नही है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 20.02.2013 को खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भरत सनाढ्य, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश करने हेतु समय चाहा, किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश न करने से प्रकरण में जवाब रेस्पोडेन्ट बन्द किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 24.10.2019 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 414 रकबा 0.1300 हेक्टेयर किस्म मगरी द्वितीय भूमि वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होकर चौराई के नये राजस्व ग्राम उपली चौराई में स्थित है। वर्तमान में आराजी संख्या 414 रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि के एक हिस्से में श्री रूपलाल पिता जीवतराम मीणा द्वारा 864 वर्गफीट पर पक्का निर्माण कार्य कर दुकान व मकान बना रखे है, जिसमें रूपलाल का परिवार निवास कर रहा है एवं शेष रकबा पडत है। आराजी संख्या 414 रकबा 0.1300 हेक्टेयर में से 0.1000 हेक्टेयर भूमि का विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटन माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा प्रकरण संख्या 03/2013 से जारी हुआ है, जिसका रेकर्ड में कोई अमलदरामद नही है। उक्त विवादित आराजीयात पर स्वामित्व को लेकर श्री लक्ष्मण पिता जीवतराम मीणा एवं कान्तिलाल पिता नाथु मीणा अपना–अपना हक बता रहे है, किन्तु विवादग्रस्त भूमि में 864 वर्गफीट भूमि पर पक्का कार्य करने वाला श्री रूपलाल मीणा, विपक्षी संख्या 1 श्री लक्ष्मणलाल पिता जीवतराम मीणा का छोटा भाई है। उक्त भूमि का छोडते हुये शेष भूमि पडत है। प्रकरण में तहसीलदार ऋषभदेव से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 03/2013 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, समस्त कार्यवाही एक ही दिवस में होना, भूमि की किस्म मगरी होकर काश्त योग्य न होना, सरपंच द्वारा कोरम में मौका देखकर आवंटन किया जाना अंकन करने आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- आर.आर.टी. 2019 (1) पृष्ठ 506

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने मामले में लिखित बहस पेश करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षीगण का पुराना कब्जा होना, आंवटन कोरम पूर्ण होना, आवंटन में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि मामले में प्रार्थीगण द्वारा 2013 से आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही की है एवं न ही मौके पर उनका कब्जा काश्त है एवं अतिक्रमी की हैसियत से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में नही बताया है। ऐसी स्थिति मे मयाद के बिन्दु पर ही उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- आर.आर.डी. 2006 पृष्ठ 723
- आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ 654

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 03/2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 414 रकबा 0.1000 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त दिनांक 20.02.2013 को कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट मे आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि को विवाद रहित होना एवं आवंटी का कब्जा होना दर्शाया गया हैं। आवंटन पत्रावली मे विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी धारा 91, भू. राजस्व अधिनियम, 1956 का नोटिस वर्ष 2012 उपलब्ध है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा था। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं भूमिधारक तहसीलदार की ओर से काई आपत्ति/आवंटन निरस्त करने हेतु कोई प्रार्थना नही की है। आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा नहीं होते हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि सरपंच द्वारा मौका देखकर आवंटन किये जाने का उल्लेख कोरम पर अपने हस्ताक्षर करते समय किया है, किन्तु उक्त आवंटन के निर्णय मे सरपंच के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर मौजुद हैं। जहां तक राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद न होने का प्रश्न है, यह दायित्व आवंटीगण का न होकर सम्बन्धित तहसीलदार का हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु

न तो कोई पुरानी राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 414 रकबा 0.1000 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2019.12.23 13:50:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: